न्यायालय सं0–9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः **माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)**
माननीय श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह, सदस्य (न्या0)

निर्देश याचिका सं0–1950/12

जितेन्द्र सिंह, आयु लगभग 51 वर्ष, पुत्र श्री राम अवतार सचान, निवासी–4/227 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, वर्तमान में तैनात–अपर जिला विकास अधिकारी, (समाज कल्याण) प्रतापगढ़। –––––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, सिविल सचिवालय, बापू भवन, लखनऊ।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश,
कल्याण भवन, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ। ––––**विपक्षीगण**

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याची व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्न अनुतोष हेतु योजित की गयी हैः–

1. ***That this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to direct the opposite parties to consider the promotion of the petitioner to the post of Additional District Development Officer (Social Welfare) w.e.f. 01.07.2025 as per recommendation of the Departmental Promotion Committee and place the name of the petitioner at proper place in gradation list dated 13.07.2012 and the petitioner will be eligible for all consequential service benefits.***
2. ***That this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to accord the parity of the judgment and order passed in claim petition no. 952/2007 by which Sri P.C. Upadhyaya was given benefit of promotion on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee and name was directed to be placed at proper place in the gradation list and the petitioner is also entitled to get the said benefits of promotion on Additional District Development Officer (Social Welfare) w.e.f. 01.07.2005 as per recommendation of D.P.C. and proper place in the gradation list with all consequential benefits.***

3. That the cost of the claim petition along with any other relief which this Tribunal being fit and proper in the circumstances in the case be also awarded in favour of the petitioner.

2- संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनाँक 25-01-1996 को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर हुई थी। याची का कथन है कि दिनाँक 24-10-2009 को अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के पद पर पदोन्निति हेतु एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वर्ष 2005-06 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति हेतु याची का नाम की संस्तुति की गयी। तदोपरान्त आदेश दिनाँकित 20-09-2010 द्वारा याची को अपर जिला विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी तथा उक्त पद पर उसके व्दारा दिनाँक 21-09-2010 को अपना योगदान दिया गया। याची का अग्रेतर कथन है कि श्री पी0सी0उपाध्याय को आदेश दिनाँकित 21-02-2006 के माध्यम से अपर जिला विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी किन्तु लोक सेवा आयोग के स्तर पर गठित चयन समिति व्दारा वर्ष 1995-96 की रिक्त के सापेक्ष चयनित होने के कारण दिनाँक 01-07-1995 से उन्हें पदोन्नत किये जाने और दिनाँक 01-07-1995 से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के आदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 2924 दिनाँकित 21-09-2012 व्दारा प्रदान किये गये। तदोपरान्त याची व्दारा श्री पी0सी0उपाध्याय के समान ही अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पद पर वर्ष 2005-06 के रिक्त के सापेक्ष पदोन्नति के फलस्वरूप दिनाँक 01-07-2005 से प्रोन्नति/ज्येष्ठता निधार्रित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण न किये जाने पर उसके व्दारा यह याचिका योजित की गयी है।

3- विपक्षीगण व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें उनके व्दारा यह कथन किया गया कि याची व्दारा दिनाँक 25-01-1996 को जिला

समाज कल्याण अधिकारी के पद पर योगदान दिया गया। शासकीय कार्यावधि के मात्र एक वर्ष बाद ही याची के विरूद्ध जनपद रायबरेली की तैनाती अवधि में बरती गयी अनियमितताओं के लिए कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 05–08–1997 व्दारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में याची को कार्यालय ज्ञाप संख्या 1569/26–1–2001–4(2ए)/1997 दिनाँक 30–05–2001 व्दारा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी। विपक्षीगण व्दारा अग्रेतर कथन किया गया कि जनपद रायबरेली की कार्यावधि में ही बरती गयी अन्य अनियमितता के लिये कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 31–12–2002 व्दारा याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी जिसमें उन्हें कार्यालय ज्ञाप संख्या–2229/26–1 –2007–4(63)/99, दिनाँक 30–08–2007 व्दारा 02 वेतन वृद्धियाँ अस्थायी प्रभाव से 02 वर्षो के लिये रोकते हुए तथा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी। अग्रेतर विपक्षीगण कथन किया गया कि याची के विरूद्ध जनपद बस्ती में जिला समाज कल्याण अधिकारी पद पर तैनाती अवधि में विभिन्न योजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं के लिये कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 20–06–2007 व्दारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में कार्यालय ज्ञाप संख्या–87/26–1–2009–4(17)/2004 दिनाँक 13–03–2009 व्दारा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी। इस प्रकार याची की सेवाएं संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। विपक्षीगण का यह भी कथन है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी पद से अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के रिक्त पदों पर दिनाँक 24–10–2009 को लोक सेवा आयोग के स्तर पर चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसकी संस्तुतियां आयोग के पत्र संख्या–1/एस–4/पी/2008–09 व्दारा शासन को प्राप्त हुई। तत्समय याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के कारण उनकी संस्तुतियां बन्द लिफाफे में रक्षित की गयी। याची के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही

दिनाँक 25-02-2010 व्दारा दोषमुक्त करते हुए समाप्त की गयी तथा याची की जिला समाज कल्याण अधिकारी पद से अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पद पर प्रोन्नति हेतु बन्द लिफाफा खुलवाने की संस्तुति लोक सेवा आयोग से की गयी, जिसके क्रम में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के स्तर पर याची के प्रोननति के सम्बन्ध में बन्द लिफाफा खेलकर पत्र संख्या-48/1/पी/एस-4/2008-09 दिनाँक 29-07-2010 व्दारा संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी जिसमें चयन वर्ष 2005-06 में याची क्रमांक-12, ज्येष्ठता क्रमांक-36 को जिला समाज कल्याण अधिकारी पद से अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया, जिसके क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3533/26-1-2010-1(98)/95, दिनाँक 20-09-2010 व्दारा याची को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 05-01-2010 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गयी। तदोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार नियमानुसार याची की वरिष्ठता निर्धारित की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद व्दारा याची का अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पद पर चयन रिक्ति वर्ष 2005-06 के सापेक्ष किया गया है न कि चयन वर्ष 2005-06 से। अतः याची की पदोन्नति नियमानुसार है। विपक्षीगण व्दारा यह कथन भी किया गया कि याची व्दारा यह याचिका आधारहीन तथ्यों पर योजित की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4- याची व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित-कथन का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5– मेरे व्दारा याची के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याची व्दारा याची व्दारा श्री पी0सी0उपाध्याय के समान ही अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पद पर वर्ष 2005–06 के रिक्त के सापेक्ष पदोन्नति के फलस्वरूप दिनॉंक 01–07–2005 से प्रोन्नति/ज्येष्ठता निधार्रित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिनॉंकित 17–11–2012 (संलग्नक सं0–ए–5) शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। याची व्दारा उक्त के सम्बन्ध में कथन अपनी याचिका के प्रस्तर–4.22 में किये गये है परन्तु निर्देश याचिका के उक्त प्रस्तर के सम्बन्ध में विपक्षीगण व्दारा अपने लिखित विवेचन के प्रस्तर 22 में मात्र यह कथन किया गया है कि उक्त प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण को पत्र संख्या–3707/26–1–2012–सक–1, दिनॉंक 11 जनवरी, 2013 व्दारा आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु याची के प्रत्यावेदन दिनॉंक 17–11–2012 के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य विपक्षीगण व्दारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। अतः हमारे विचार से विपक्षी सं0–1 को याची के प्रत्यावेदन दिनॉंकित 17–11–2012 (संलग्नक सं0–ए–5) को निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार याची की याचिका निम्न आदेश के साथ निस्तारित की जाती हैः–

<u>आदेश</u>

निर्देश याचिका विपक्षी सं0–1 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वे याची के प्रत्यावेदन दिनॉंकित 17–11–2012 (संलग्नक

सं0–ए–5) को सकारण व मुखरित आदेश के माध्यम से इस निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/– ***ह0/–***
(रवीन्द्र विक्रम सिंह) ***(योगेश्वर राम मिश्र)***
सदस्य (न्या0) ***सदस्य (प्रशा0)***

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/– ***ह0/–***
(रवीन्द्र विक्रम सिंह) ***(योगेश्वर राम मिश्र)***
सदस्य (न्या0) ***सदस्य (प्रशा0)***

दिनाँकः20 अगस्त, 2026
एच0के0आर0/पी0एस0